राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफएसएसए/ 2019/266 दिनांकः– 29/3/19

–::आदेश::–

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के प्रभावी कियान्वयन हेतु एफएसएसएआई नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आपके परिसर/संस्थान में **Food Safety Display Board (FSDB)** लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

अतः समस्त खाद्य करोबारी कर्ता, **लिकर रिटेल शॉप/होलसेल** राजस्थान को आदेशित किया जाता है कि वे **FSDB** को तुरन्त प्रभाव से अपनी संस्थान/परिसर में लगाया जाना सुनिश्चित करे।

Food Safety Display Board (FSDB) निम्नानुसार होना अनिवार्य है:–

1. A3 साईज कार्ड बोर्ड मेटेरियल पर प्रिंट होना चाहिये।
2. FSDB आपके परिसर के प्रवेशद्वार, रिसेप्शन/बीलिंग ऐरिया पर लगा होना चाहिये, ताकि उपभोक्ता को आसानी से नजर आ सके।
3. आपकी संस्थानों हेतु **FSDB** का रंग **ब्राउन** रखा गया है।
4. **FSDB** बोर्ड में राज्य के कंट्रोल रूम नम्बर **0141–2225624** भी अन्य जानकारियों के साथ भी लिखा होना चाहिये, जिससे उपभोक्ता चाहे तो एफएसएसएआई नई दिल्ली के साथ–साथ राज्य में भी सम्पर्क कर सके।

Food Safety Display Board (FSDB) नहीं लगाये जाने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 मे निहित प्रावधानों के तहत् सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

संलग्न – **Food Safety Display Board (FSDB)** का प्रारूप।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफएसएसए/2019/266 दिनांकः– 29/3/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **Food Safety Display Board (FSDB)** लगाये जाने की पालना सुनिश्चित करे।
4. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
5. समस्त खाद्य करोबारी कर्ता, **लिकर रिटेल शॉप/होलसेल** राजस्थान को विभाग की वेबसाईट **http://rajswasthya.nic.in** के माध्यम से सूचित कर निर्देशित किया जाता है उक्त आदेश की तुरन्त पालना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

(Please Mention Your License/Registration no.)

____

Liquor Retail Shops

With Us You Will Get Safe Food

We Follow These 12 Golden Rules

Hygiene Rule Codes		Hygiene Rule Codes	
1	Keep premises clean and pest & rodent free.	Ensure no pest activity or pest harborage in store.	7
2	Keep Check the label of liquor bottles for FSSAI License number.	Wear clean & protective uniform.	8
3	Store beer bottles upright between 4-10 degree Celsius. Follow FIFO and FEFO.	Wash hands before & after handling food and after using toilets, coughing, sneezing, etc.	9
4	Keep storage and display area liquor bottles clean and sanitized.	Use water proof bandage to cover cuts or burn wounds.	10
5	Store and display liquor products away from direct sunlight in dark room.	Do not handle food when unwell.	11
6	Keep seal of bottles & cans intact to prevent contamination.	Dispose food waste regularly. Keep separate and covered dustbins for food waste.	12

If any concern

Call toll free
1800 112 100

SMS or Whatsapp
9868686868

Always quote FSSAI Number for quick action

Give your Feedback to Company Name

(Company Name)

(Contact Details)

Download FSSAI APP
or Logon to https://foodlicensing.fssai.gov.in/cmsweb

Connect with us:
Food Safety and Standards Authority of India
fssaiindia